

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म: हिसार

Phones: (91)1662-275581, 275797

सं:सी.एस.एफ./6-16//कृषि/2015/

दिनांक: 1.09.2015

अल्प कालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 कि०मी०, सिरसा रोड़, हिसार पर रबी 2015-16 व खरीफ 2016 के लिये फार्म के चक न० 21000आर०डी० पर 300 एकड़, नर्सरी पर 75 एकड़ व बालक/टेल प्लाट पर 75 एकड़ एरिया में हिस्से के आधार पर खेती करने के लिये मोहरबन्द निविदाएं दिनांक 07.9.2015 को अपराह्न 2.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक निविदादाता को निविदा देने से पूर्व प्रति चक/क्षेत्र के लिये रुपये 50,000/- का डी०डी० राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के नाम बनवाकर जमा कराना होगा जो कि ठेका आंबटित होने पर चक नर्सरी व चक बालक/टेल प्लाट की सुरक्षा धन राशी के रूप में समायोजित कर लिये जायेंगे लेकिन चक 21000आर०डी० के लिये रुपये 1,00,000/- का डी०डी० सुरक्षा धन राशी के रूप में अतिरिक्त जमा कराना होगा। असफल निविदादाता को धरोहर राशी चैक के रूप में लौटा दी जायेगी। निविदाएं उसी दिन 3.00 बजे सांय खोली जायेंगी। यदि उपरोक्त तिथि को निविदाएं असफल रही तो दोबारा दिनांक 11.9.2015 व 15.9.2015 को निविदाएं ली जायेगी। विस्तृत जानकारी नियम व शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को व हमारी वेबसाईट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

सहायक प्रबंधक (उत्पादन)
कृते निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म: हिसार

फसल उत्पादन में हिस्सा आधारित शस्य क्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले श्रमिक व मशीन की आउट सोर्सिंग की नियम व शर्तें

दिनांक 7-9-2015, 11-9-2015 व 15-9-2015

- 1- प्रत्येक निविदादाता को निविदा देने से पूर्व धरोहर राशी के रूप में प्रति चक/क्षेत्र के लिये रुपये 50,000/- का डी0डी0 राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के नाम बनवाकर जमा कराना होगा जो कि ठेका आंबटित होने पर चक नर्सरी व चक बालक/टेल प्लाट की सुरक्षा धन राशी के रूप में समायोजित कर लिये जायेंगे लेकिन चक 21000आर0डी0 के लिये रुपये 1,00,000/- का डी0डी0 सुरक्षा धन राशी के रूप में अतिरिक्त जमा कराना होगा । सुरक्षा राशि ठेके के संतोषजनक पूर्ण होने पर ठेकेदार को वापिस/फार्म को दिये गये उत्पाद के मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी । असफल निविदादाता को धरोहर राशी चैक के रूप में लौटा दी जायेगी ।
- 2- खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे बीज, उर्वरक, कृषि रसायन (कीट एवं बिमारी रसायन) पानी उपलब्धता अनुसार फसलवार फार्म द्वारा तय नार्मस के मुताबिक फार्म की तरफ से उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 3- खेती से सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसल की बुआई, उर्वरक का इस्तेमाल, प्लेवा/ सिंचाई, कृषि रसायन का इस्तेमाल, नालियों की सफाई फसल की निराई-गुड़ाई, रोगिंग, फसल की रखवाली, कटाई-गहाई, उपज को खलिहान पर पहुंचाकर उतारने आदि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक आपरेशन ठेकेदार को करने होंगे। इन सभी कार्य में होने वाले खर्च की एवज में फसल उत्पाद का हिस्सा दिया जायेगा जिसका निर्धारण टैंडर के माध्यम से वर्ष रबी 2015-16 व खरीफ 2016 सीजन में निर्धारित फसलों के उत्पादन के न्यूनतम हिस्सा मात्रा के आधार पर किया जायेगा । ठेकेदार को देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार फसल के उत्पाद को खलिहान पर प्राप्ति के 15 दिन बाद किया जायेगा । यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार से निर्धारित नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में हिसार मंडी के आवक पीरियड के अधिकतम व न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा ।
- 4- निविदादाता द्वारा सम्बन्धित सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पाद को खलिहान पर पहुंचाकर उतारने तक का कार्य संबंधित इंचार्ज खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा ।
- 5- निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई व नाली में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा । नर्सरी एरिया के मोगे से हर कैनल के फ्लो पर सैन्ट्रल कालोनी की डिग्गी भरने एवं फार्म कोठी पर पानी देने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।
- 6- बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करनी होगी ।

- 7- विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन-धन की हानि एवं दुर्घटना की वैधानिक व संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। फार्म का किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ई.पी.एफ. दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार की होगी। यदि फार्म को किसी मामले में ठेकेदार की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पड़ा तो फार्म मय हर्जे खर्चे के उसे ठेकेदार को देय धनराशियों से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।
- 8- कटाई थ्रेशिंग के बाद प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण उत्पाद फार्म को देना होगा।
- 9- संबंधित क्षेत्र में स्थित चल-अचल संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। वह इस बावत एक हल्फनामा (अंडरटैकिंग) देगा व यथास्थिति में ठेका पूर्ण होने पर इन्हें वापिस फार्म को सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल-अचल संपत्ति का ठेकेदार व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। फार्म से संबंधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी भी प्रकार के नुकसान चोरी आदि की भरपाई ठेकेदार के कार्य के बिल के भुगतान/जमा सुरक्षा राशि से किया जायेगा।
- 10- संबंधित प्रक्षेत्र पर पशुधन रखने व पशु चराने व अन्य क्रियाओं की अनुमति नहीं होगी।
- 11- बीज प्रमाणीकरण से संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस फार्म द्वारा वहन की जायेगी।
- 12- संबंधित प्रक्षेत्र पर कौन सी फसल व किस्म कितने क्षेत्र में ली जानी है, इसका निर्धारण फार्म प्रबंधन द्वारा किया जायेगा।
- 13- ठेकेदार को ठेके के किसी भी क्षेत्र को सबलैट करने का अधिकार नहीं होगा।
- 14- हिस्सा आधारित खेती में इस्तेमाल श्रमिक व मशीन की आउटसोर्सिंग का कार्य एक वर्ष रबी 2015-16 व खरीफ 2016 तक के लिए रखा जायेगा।
- 15- ठेकेदार को अपना पैनकार्ड देना होगा। नियमानुसार टीडीएस भी कटेगा।
- 16- निविदादाता द्वारा कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं करने पर ठेका बीच में निरस्त किया जा सकता है।
- 17- ठेकेदार का सम्बन्ध केवल कृषि कार्यों से रहेगा।
- 18- ठेके के क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा कोई स्थायी निर्माण व अन्य किसी प्रकार की गतिविधियां (फार्म द्वारा प्रदत्त कार्यों के अतिरिक्त) नहीं होगी।
- 19- ठेकेदार के कार्य में लगे श्रमिक व मशीनों की सूची ठेकेदार द्वारा फार्म को उपलब्ध करानी होगी।
- 20- विशेष प्राकृतिक आपदा/परिस्थितियां जिनका पूर्व अनुमान/नियंत्रण/निदान संभव नहीं हो, की स्थिति में ठेकेदार अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म प्रबंधन का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 21- सभी फसलों का (गेहूँ को छोड़कर) नीरा गूना ठेकेदार का होगा, जिसका निस्तारण गहाई के 15 दिन के अन्दर स्वयं ठेकेदार करेगा।

- 22- किये गये कार्य श्रमिक व मशीन मद में खर्च के एवज में ठेकेदार को पहली किश्त सीजन की फसल बुआई के उपरान्त अग्रिम भुगतान के रूप में रुपये 1500/- प्रति हैक्टे0 व दूसरी किश्त रुपये 1000/- प्रति हैक्टे0 के हिसाब से फसल कटाई के पूर्व भुगतान का प्रावधान रहेगा जिसे उसके अन्तिम देय भुगतान से समायोजित कर लिया जायेगा ।
- 23- कृषि प्रक्रिया का निर्धारण फसल व प्रजाति की आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा निविदा के पूर्व किया जायेगा ।
- 24- फसल में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान आदि के बारे में फार्म द्वारा गठित समिति के आंकलन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा, जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- 25- प्रत्येक फसल व प्रजाति के उत्पादन का लक्ष्य फार्म द्वारा निर्धारित किया जायेगा। यदि लक्ष्य से कम उत्पादन आता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कम उत्पादन के कारणों की समीक्षा की जायेगी । यदि ठेकेदार की तरफ से फसल उत्पादन में कमी पाई जाती है तो ठेकेदार इस कमी की भरपाई करेगा जिसका आकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी करेगी जो दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- 26- फसल उत्पाद में होने वाले नुकसान व चोरी रोकने इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
- 27- ठेकेदार को रबी 2015-16 की बीजाई की फार्म में बीजी गई खरीफ की फसलों को काटने के बाद ही दी जायेगी ।
- 28- निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को बिना कारण बताए निविदा को अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
- 29- पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक, कारपोरेट आफिस, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली अथवा उनके नामित एकल आरबीट्रेटर का निर्णय अन्तिम होगा जोकि पक्षकारान को मान्य होगा । न्यायिक मामलें उस न्यायालय में क्षेत्राधिकार माना जायेगा जिसके अन्तर्गत फार्म आता है ।

सहायक प्रबंधक (उत्पा0)

दिनांक : 07.09.2015

सेवा में,

निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार।

श्री मान् जी,

निवेदन है कि मैं आपके फार्म पर रबी 2015-16 व खरीफ-2016 में आप द्वारा निर्धारित नियम व शर्तोंनुसार निम्न चकों पर फसल उत्पादन के सभी कार्यों जैसे जमीन की तैयारी, फसल की बुआई, उर्वरक का इस्तेमाल, प्लेवा/सिंचाई, कृषि रसायन का इस्तेमाल, नालियों की सफाई, फसल की निराई-गुड़ाई, रोगिंग, फसल की रखवाली, कटाई-गहाई, उपज को खलिहान पर पहुंचाकर उतारने आदि को हिस्से के आधार पर करने के लिये तैयार हूं तथा चक-वार दरें नीचे दी गई हैं। मुझे फसल उत्पाद के देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार मंजूर है। अगर किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में मैं हिसार मंडी के आवक पीरियड के अधिकतम व न्यूनतम दर की औसत के आधार पर भुगतान लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे फार्म की सभी शर्तें मंजूर हैं तथा मैंने शर्तों पर हस्ताक्षर भी कर दिये हैं। धरोहर राशी के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट न0.....दिनांक.....रुपये _____ का संलग्न है।

चक न0	एरिया एकड़ में	रबी 2015-16 व खरीफ-2016 फसल उत्पादन का प्रतिशत लुंगा	धरोहर राशी
21000आर0डी0	300 एकड़		डी.डी0 रु 50,000/-
चक नर्सरी	75 एकड़		डी.डी0 रु 50,000/-
चक बालक/टेल प्लाट	75 एकड़		डी.डी0 रु 50,000/-

भवदीय
ठेकेदार के हस्ताक्षर
नाम व पता

मोबाइल न0-----